महत्वपूर्ण

संख्या–1884/60–3–2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28नवम्बर, 2015

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिको लीगल प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र संख्या–1185/सेक–2–2015, दिनांक 06.05.2015 के माध्यम से ''एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा'' से संबंधित मेडिको लीगल प्रकियाओं के लिये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में अब तक दो चरणों (माह मई 2015 एवं माह जुलाई 2015) में 285 चिकित्साधिकारियों को उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

2. महिला सम्मान कोष के संचालन की विभिन्न स्तरों पर की गई समीक्षा से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि जनपद स्तर पर कार्यरत नोडल चिकित्साधिकारियों को ''मेडिको–लीगल प्रोटोकाल्स'' के अनुपालन एवं परीक्षण प्रकियाओं में अभी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण–कार्यकम आयोजित कर नोडल चिकित्साधिकारियों के साथ ही साथ संबंधित अन्य चिकित्सकों को भी उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है। अतः तृतीय चरण के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर उक्त प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस कम में अभी तक मात्र गोरखपुर मण्डल में प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया जा चुका है तथा शेष 17 मण्डलों हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यकम की सूची संलग्न है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ, डा0 गयासुद्दीन खान, फोरेन्सिक साइंस विशेषज्ञ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ तथा डा0 एच0के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देशन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों एवं मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों को मण्डलवार प्रस्तावित दो दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभागियों को नामित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को देय यात्रा भत्ता, उनके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार) 30/11/15
प्रमुख सचिव।

संख्या–1884(1)/60–3–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– डा0 एच0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– डा0 वी0 डी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
7– समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारियों एवं मण्डलीय जिला परिवीक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विवरणानुसार कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5– कोष कार्यलय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,
30/11/15
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों के मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

क0 सं0	मण्डल का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण के लिये आवंटित जनपद मुख्यालय
1	कानपुर एवं झांसी	14 एवं 15 दिसम्बर, 2015	कानपुर नगर
2	मेरठ एवं सहारनपुर	18 एवं 19 दिसम्बर, 2015	मेरठ
3	लखनऊ जनपद	4 एवं 5 जनवरी, 2016	लखनऊ
4	वाराणसी एवं मिर्जापुर	21 एवं 22 जनवरी, 2016	वाराणसी
5	आगरा एवं अलीगढ़	4 एवं 5 फरवरी, 2016	आगरा
6	फैजाबाद एवं बस्ती	12 एवं 13 फरवरी,, 2016	फैजाबाद
7	इलाहाबाद एवं चित्रकूट	26 एवं 27 फरवरी,, 2016	इलाहाबाद
8	बरेली एवं मुरादाबाद	04 एवं 05 मार्च, 2016	बरेली
9	देवीपाटन	08 एवं 09 मार्च, 2016	गोंडा
10	आजमगढ़	11 एवं 12 मार्च, 2016	आजमगढ़
11	लखनऊ मण्डल के अन्य जनपद–सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, हरदोई एवं उन्नाव।	18 एवं 19 मार्च, 2016	लखनऊ